संख्या-22/2026/001-480/1665331/12-2099/162/2022

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 अप्रैल, 2026

विषय:-अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस.एफ-38-जी/बीज भण्डार योजना/2026-27, दिनांक 07 अप्रैल, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-**0402-बोरियों की लागत प्रासंगिक व्यय के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 400.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि** रूपये 400.00 लाख (रूपया चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में वितरित किये गये बीजों के सापेक्ष ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
4. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय नई मदों में नही किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।
6. योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के सम्बन्ध में यह सुनिचित कर लिया जाये कि किसी अन्य योजना से द्विरावृति न हो।
7. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत निर्गत धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूर्ण विवरण सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृति की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें व्याज अर्जित हो तो उक्त व्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
9. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा। इस सम्बन्ध में सुसंगत वित्तीय नियमों तथा जेम की शर्तो का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

11. स्वीकृति की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

13. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक 4401001030402 मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-22/2026/001-480(1)/1665331/12-2099/162/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2, कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in